पत्रांक 3798 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 24/10/16

विषय– **छठ महापर्व 2016 के अवसर पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से की जाने वाली पूर्व तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि इस वर्ष छठ महापर्व दिनांक–05.11.2016 से 07.11.2016 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नदियों, तालाबों एवं घाटों पर श्रद्धालुओं, छठव्रतियों एवं इनके परिवार के सदस्य तथा इष्ट–मित्र की भारी भीड़ एकट्ठा होती है। विगत वर्षों में राज्य के विभिन्न भागों में छठ पूजा के दौरान लोगों के डूबने की घटनाएं हुई हैं। साथ ही अफवाह आदि कारणों से भीड़ के अनियंत्रित होने से भगदड़ के कारण मानव क्षति हुई है। गंगा, कोसी एवं गंडक नदी के किनारे अवस्थित 12 जिलो यथा– **गंगा नदी के किनारे अवस्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार; कोसी/गंगा के किनारे अवस्थित खगड़िया; गंडक नदी के किनारे अवस्थित वैशाली, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर; गंडक एवं गंगा/घाघरा के किनारे सारण जिला**– में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसी प्रकार औरंगाबाद जिले में सूर्य मंदिर (देव) के नजदीक के तालाब के किनारे लाखो की संख्या में श्रद्धालु एवं छठव्रती इकठ्ठा होते हैं। अन्य जिलों में भी छठ व्रत स्थानीय नदियों/तालाबों के किनारे मनाया जाता है जहाँ भारी संख्या में छठ व्रती एवं उनके परिजन जमा होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि छठ महापर्व 2016 के दौरान संभावित दुर्घटना/आपदा की रोक–थाम तथा आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए निम्नानुसार पूर्व तैयारियाँ कर ली जाए :–

1. <u>नदी घाटों की बेरीकेडिंग</u>–

   खतरनाक नदी घाटों को चिन्हित करते हुए उनकी बैरिकेडिंग की जाए एवं इसकी निगरानी चौकीदार से कराई जाए जिससे छठव्रती वैसे घाटों पर न जा पाएं। सभी नदी घाटों पर नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवको (जहाँ उपलब्ध हो) की प्रतिनियुक्ति की जाए जो निर्धारित ड्रेस पहनकर जिला प्रशासन के निदेश पर कार्य करेंगे। साथ ही नदियों में जहाँ गहराई प्रारंभ होती है एवं स्नान करने वालों के डूबने की संभावना हो, वहाँ भी बेरिकेडिंग कर दी जाए ताकि स्नानार्थी उक्त सीमा के पार न जा सकें। साथ ही घाटों पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल ऐसे स्नानार्थियों को गहरे पानी में जाने से रोकने का कार्य करेंगे।

2. <u>चिकित्सा व्यवस्था एवं QMRT की प्रतिनियुक्ति</u> –
घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों/पारामेडिक टीमों की प्रतिनियुक्ति की जाए। प्रत्येक जिलों में QMRT की टीमे प्रशिक्षित हैं एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ALS एम्बुलेंस भी उपलबध कराया गया है। इनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व से ही कर ली जाए।

3. <u>गोताखोरों/मोटरबोट चालको की प्रतिनियुक्ति</u> –
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी बाढ़ प्रवण 28 जिलों में 30–30 गोताखोरों एवं 10 गैर बाढ़ प्रवण जिलों में 15–15 गोताखोरो को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही बाढ़ प्रवण जिलों में इन्फ्लैटेबल मोटरबोट एवं देसी नाव उपलब्ध कराये गए है एवं होमगार्ड के जवानों को मोटरबोट चालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। नदी घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों एवं चालकों की प्रतिनियुक्ति लाईफ जैकेट/इन्फ्लैटेबल बोट/देसी नाव के साथ (जहाँ उपलब्ध हो) की जाए। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित गोताखोर नावों/ मोटरबोटों के साथ नदी के अंदर कर्त्तव्यशील हो सकते हैं। **बाढ़ प्रवण जिलों में प्रतिनियुक्त गोताखोरो एवं मोटरबोट चालको के मानदेय का भुगतान अबादी निष्क्रमण मद से एवं गैर बाढ़ प्रवण जिलों में जिला प्रशासन को उपलब्ध आकस्मिकता निधि से किया जा सकता है।**

4. <u>इन्फ्लैटेबल इमरजेंसी लाईटिंग सिस्टम (IELS)</u> -
सभी जिलों को IELS उपलब्ध कराया गया है जिससे पर्याप्त रोशनी होती है। छठ पर्व के अवसर पर इसका उपयोग घाटों पर किया जाए।

5. <u>घाटों के किनारे ऑन साईट कंट्रोल रूम का संचालन</u> –
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में बाढ़ प्रवण जिलों में टेंट उपलबध कराया गया है। इन टेंटो का उपयोग घाट के किनारे आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम के रूप में किया जाए जहां पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। सभी महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या इन कंट्रोल रूमों में उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने में सुविधा हो एवं सूचना तुरन्त जिला कंट्रोल रूम एवं राज्यस्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना को दी जा सके।

6. <u>नदी घाटों पर पटाखों की बिक्री एवं उनके चलाने पर प्रतिबंध</u> –इस अवसर पर दिनांक–05.11.2016 से 07.11.2016 तक नदी घाटों एवं तालाबों आदि जलस्रोतों के समीप, जहां छठ पूजा का आयोजन होता है, पटाखों की बिक्री एवं पटाखे चलाने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। पटाखों की आवाज से घाटों और तालाबों के समीप उपस्थित छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने की संभावना होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर दुर्घटना/ आपदा हो सकती है।

7. <u>निजी नावों के परिचालन पर रोक</u> –

छठ पर्व के अवसर पर नहाय–खाय के लेकर सुबह के अर्ध्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाए तथा इसकी निगरानी होमगार्ड या चौकीदारों के माध्यम से करायी जाय।

8. <u>कार्य योजना एवं कम्यूनिकेशन प्लान</u> –

छठ पर्व के अवसर पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पूर्व से ही की गई तैयारी के संबंध में बैठक कर कार्य योजना एवं कम्यूनिकेशन प्लान तैयार कर ली जाए ताकि छठ पर्व के अवसर पर आपदा की स्थिति उत्पन्न न हो।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक 3798 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/10/16.

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3798 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/10/16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग को सूचनार्थ। अनुरोध है कि छठ पर्व के अवसर पर आपदाओं की दृष्टिकोण से नावों के परिचालन रोकने हेतु अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3798 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/10/16

प्रतिलिपि– पुलिस महानिदेशक/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3798 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/10/16.

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव